

506/05  
10/1/12

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

26, वी. एच. ई. एल. रानीपुर

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर

के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, विशिष्ट पातलान

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. सुरेश चंद्र

पातलान आयु 39 वर्ष

जो 443, लि. कु. ले. म. का. त. नी

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले)

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं



Handwritten signature

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) .....

..... राज्य.....


(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....


स्थान हरिद्वार

तारीख 10-1-2011

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

 स्थान पर आज तारीख 10-1-2011 को सत्यापित किया।


ATTESTED

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

SURENDRA KUMAR

NOTARY ADVOCATE  
DIST. COURT, HARDWAR

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी के नाम नहीं हैं, कट दिए जायें।

  
विद्या  
बिद्यानन्द मासवान  
एडवोकेट  
विश्व कोट, हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 252479

105  
10/11/12



*[Signature]*  
बिद्यानन्द मौसवान  
एडवोकेट  
धरम खोटे, हरिद्वार

*[Signature]*